


1-7-16

पञ्जाबली बोर्ड केमों के वारिफ पर
पेश। तहसीलदार ने मोना जॉच में बताया
गया की जाती इतना। नाथ दिनांक 14.5.15 को
कॉन्ट्रोल ऑफ गोरु की मृत्यु हो चुकी है। वाली
के मुद्दे पर वता वारिसान वतान का प्रारंभ
पत्र आज तक पेश नहीं किया गया है वारिसान
के नाम राजरव रेवर्ड में दर्ज हो चुके हैं
कितने बाद पत्र श्वारीज किया जाता

है। आज यह निर्धारित दिनांक 1-7-16 को बोर्ड
केमों के वारिफ पर अगले आम मुनाफा गया।
पञ्जाबली केमों शुमार हो वारिसान
के नाम हो।


(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत
सहायक कलक्टर
फारम वेक भीलवासा

उनवान

1- रत्नापुत्र नाथ गुजर निवारनी (वाचरिप)

2- गेहक उक्त गोरुपुत्र नाथ गुजर

बनाम

वादीगण

1- लहरनीलदार भीलवाडा

दावा बाबत..... 88-89 श.दि. एल.ए.

मुकदमा नम्बर :- 149/99


निर्णय दिनांक :- 1.7.16

वादी की ओर से..... की व प्रतिवादी की ओर से की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1.7.16 को वाचरिप (नाम पीठासीन अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण की सूचना देने के बाद वापस मुकाम परफेला पत्र पेश नहीं वाद पत्र श्वारेज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 1.7.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाडा